कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

पत्रांक 2465/1 ... दिनांक 18/8/22

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः— चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि0मी0 (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। **(प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/121197/2021)**

संदर्भः—1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या—08 वी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/321 दिनांक 08.08.2022

2. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर का पत्रांक 483/14—1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 16.08.2022

उपरोक्त विषयक चौधरी चरण सिंह कांवड मार्ग पर वृक्षो/पौधो के पातन के अनुमति हेतु **प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/121197/2021** के क्रम में सम्बन्धित पत्रों के द्वारा वांछित बिन्दूओं पर सूचना टेबुलर फार्म में निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत हैः—

क्र0सं0	वांछित सूचना के बिन्दू	अनुपालन आख्या
1.	Change in the alignment due to realignment of road to the outer periphery of RHS of Upper Ganga Canal and subsequently change in the area of the proposal (if required) is required to be submitted	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न हैं (संलग्नक—1)
2.	Chainage in the number of feeling of trees is required to be submitted	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न हैं(संलग्नक—2)
3.	Undertaking of the user agency for compensating for existing structures, nurseries etc. is required to be submitted	लोक निर्माण विभाग से वांछित आख्या प्रमाण पत्र संलग्न हैं(संलग्नक—3)
4.	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one patch completely and in four patches partially) has been observed on (Sl 1,3,5,8,11) on the proposed CA land area. This needs clarification/rectification	प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर से आख्या वांछित है। इस कार्यालय के पत्रांक 187/कैम्प दिनांक 17.08.2022 एवं आपके कार्यालय के पत्रांक 483/14—1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 16.08.2022 द्वारा उनको निर्देशित किया गया है। आख्या प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी।
5.	As per the SOI toposheet, Total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification	

संलग्नः— 1 से 3 तक संलग्नक 07 प्रतियों में।

(एस0के0 सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मेरठ।

पत्रांक : / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ एवं सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ, गाजियाबाद एवं मिर्जापुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी ललितपुर।
5. जिलाधिकारी महोदय मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ।

(एस0के0 सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मेरठ।

संलग्नक-2

मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (कांवड़ मार्ग) में प्रयुक्त वन क्षेत्र के बदले ललितपुर वन प्रभाग में उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता/अनुपयुक्तता, अतिक्रमण ज्ञात करने हेतु गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./321 दिनांक 08.08.2022 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की कार्यालय पत्र सं0-483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022 के अनुक्रम में दिनांक 18.08.2022 से 19.08.2022 तक धौजरी, कपासी, जाखलौन, रेंज ललितपुर स्थित गैर वन भूमि हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर की पत्र सं0-605/13-1, दिनांक 18.08.2022 द्वारा क्र0सं0-01 से 08 में उल्लिखित विभिन्न गाटा संख्याओ का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

प्रस्तावित गैर वन भूमि के गाटा संख्याओं के वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता ज्ञात करने हेतु, उक्त भूमियों के स्थलीय निरीक्षण में गाटावार भूमियों में उपलब्ध मृदा गहराई (Soil depth) का सेमपल सर्वे के रूप में मृदा संकाय कार्य करके देखा गया, उक्त भूमियों का Terrain, Slope, Gps Polygon के आधार पर गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की मदद से अध्ययन कर प्रस्तावित भूमियों में उपलब्ध मृदा संकाय कार्य की संभावनाओं के दृष्टगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो के अनुसार वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता सम्बन्धी स्थलीय निरीक्षण में स्थित निम्न प्रकार पायी गयी।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम एवं गाटा संख्या		क्षेत्रफल (है0में)	वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता	अभ्युक्ति
		ग्राम	गाटा सं0			
1-	ललितपुर	धौजरी	27	90.50	अनुपयुक्त	उक्त भूमि पथरीली, चट्टान युक्त वोल्डर मिश्रित होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।
2-	ललितपुर	धौजरी	26	30.20	अनुपयुक्त	
3-	ललितपुर	धौजरी	302/2	2.24	अनुपयुक्त	
4-	ललितपुर	कपासी	251/4	16.00	उपयुक्त	भूमि Soildepth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते है।
5-	ललितपुर	जाखलौन	606/4	20.30	अनुपयुक्त	प्रस्तावित पठारी चट्टान युक्त पहाड़ी के रूप में है। जिनका Slope अत्यधिक होने के कारण एवं पथरीली चट्टान युक्त मिट्टी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण उक्त भूमि अनुपयुक्त है। पर्याप्त Root Stock उपलब्ध है। जिसमें ए0एन0आर0 एवं कल्चर कार्य किये जा सकते है।
6-	ललितपुर	जाखलौन	532/1	9.74	अनुपयुक्त	
7-	ललितपुर	जाखलौन	523	2.40	अनुपयुक्त	
8-	ललितपुर	जाखलौन	752 मि0	18.00	अनुपयुक्त	

अतः उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवादित रहित है।

श्री हनुमंत सिंह
धौर्रा वीट/वन रक्षक

श्री अशोक कुमार पुरोहित
सैपुरा सेक्शन/वन दरोगा

श्री उमराव प्रसाद
वन रक्षक

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

तहसीलदार
ललितपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

D:\VIKKY_2013\Steno\Letter_Steno 2022

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांकः 625 /13—1 दिनांक, ललितपुर 22 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः— चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 सं0—51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी गैर वानिकी भूमि के सम्बंध में।

सन्दर्भः— आपका कार्यालय पत्रांक—483/14—1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/321 दिनांक 08.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 सं0—51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत 226.00 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्रकरण में उच्च स्तर से कमियॉ/आपत्तियां लगायी गयी हैं, जिनमें से बिन्दु संख्या—04 व 05 इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या—04 एवं 05 का निराकरण कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या/निराकरण
1.	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one atch completely and in four patches partially) has been observed on (SI 1, 3, 5, 8, 11) on the proposed CA land area. This needs clarification/ rectification.	क्षेत्रीय वन अधिकारी ललितपुर एवं तहसीलदार ललितपुर (राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम) द्वारा दिनांक 18.08.2022 से 19.08.2022 तक संयुक्त सर्वे कराया गया उक्त प्रकरण में विषयांकित CA भूमि, जो ललितपुर जनपद से संबंधित है, उसमें कहीं भी कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है।
2.	As per the SOI toposheet, total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification.	1. ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति सं0—2097/14 दिनांक 19.05.1954 में धारा—4 हेतु 1848.99 एकड़ वन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं0—4665/1—2—20 (55) —72 दिनांक 09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1848.99 एकड़ का धारा—20 हो चुका है एवं गाटा सं0—303 रकबा 4.9360 हे0 वन भूमि टेहरी बाँध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या—26/1 रकबा 30.20 हे0, 27/1 रकबा 90.50 हे0 एवं 302/2 रकवा 2.240 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI

E:\USV_2011 MIS\Satelmanı\Letter.doc

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

		toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2. ग्राम जाखलौन के बन्दरगुढ़ा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या-2097/14 दिनांक 19.05.1954 के अन्तर्गत धारा-4 हेतु 1438.31 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-23(4)-207/14-बी-68 दिनांक 24.09.1968 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकवा 1438.31 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-606 रकवा 20.30 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3. ग्राम वघौरा में विज्ञप्ति संख्या-3445/14-732 दिनांक 04.08.1954 में धारा-4 हेतु 341.26 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं0-23(4))-75/ 14-बी-68 दिनांक 24.05.1968 के अनुसार कुल रकवा 334.26 एकड़ का धारा-20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या-810मि0 रकवा 8.282 हे0 एवं 817 रकवा 1.238 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- स्थलीय निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांक 625 अ/सम दिनांक 22/08/22

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर एवं बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।
4. जिलाधिकारी, ललितपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद ।
6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

C/P DCF

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक-2

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांकः 625 /13–1 दिनांक, ललितपुर 22 अगस्त, 2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 सं0–51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी गैर वानिकी भूमि के सम्बंध में।

सन्दर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक–483 / 14–1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 221 / 2021 / एफ0सी0 / 321 दिनांक 08.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चौ0 चरण सिंह कावंड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 सं0–51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष जनपद ललितपुर के अन्तर्गत 226.00 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्रकरण में उच्च स्तर से कमियॉ / आपत्तियां लगायी गयी हैं, जिनमें से बिन्दु संख्या–04 व 05 इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या–04 एवं 05 का निराकरण कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या / निराकरण
1.	As per the Google earth imageries agriculture activity (in one atch completely and in four patches partially) has been observed on (SI 1, 3, 5, 8, 11) on the proposed CA land area. This needs clarification/ rectification.	क्षेत्रीय वन अधिकारी ललितपुर एवं तहसीलदार ललितपुर (राजस्व विभाग की टीम एवं वन विभाग की टीम) द्वारा दिनांक 18.08.2022 से 19.08.2022 तक संयुक्त सर्वे कराया गया उक्त प्रकरण में विषयांकित CA भूमि, जो ललितपुर जनपद से संबंधित है, उसमें कहीं भी कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवाद रहित है।
2.	As per the SOI toposheet, total six patches (four patches completely and two patches partially) of the proposed CA land polygon are falling in the RF area. This needs rectification.	1. ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति सं0–2097 / 14 दिनांक 19.05.1954 में धारा–4 हेतु 1848.99 एकड़ वन भूमि प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं0–4665 / 1–2–20 (55) –72 दिनांक 09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1848.99 एकड़ का धारा–20 हो चुका है एवं गाटा सं0–303 रकबा 4.9360 हे0 वन भूमि टेहरी बाँध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या–26 / 1 रकबा 30.20 हे0, 27 / 1 रकबा 90.50 हे0 एवं 302 / 2 रकबा 2.240 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI

E:\USV_2011 MIS\Satelmant\Letter.doc

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

		toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2. ग्राम जाखलौन के बन्दरगुढ़ा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या–2097/14 दिनांक 19.05.1954 के अन्तर्गत धारा–4 हेतु 1438.31 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या–23(4)–207/14–बी–68 दिनांक 24.09.1968 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकबा 1438.31 एकड़ का धारा–20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या–606 रकवा 20.30 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3. ग्राम वघौरा में विज्ञप्ति संख्या–3445/14–732 दिनांक 04.08.1954 में धारा–4 हेतु 341.26 एकड़ प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति सं0–23(4))–75/ 14–वी–68 दिनांक 24.05.1968 के अनुसार कुल रकबा 334.26 एकड़ का धारा–20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या–810मि0 रकवा 8.282 हे0 एवं 817 रकबा 1.238 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से वाहर है। परन्तु SOI toposheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– स्थलीय निरीक्षण आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

पत्रांक 625 अ/सम दिनांक 22/08/22

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर एवं बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।
4. जिलाधिकारी, ललितपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद ।
6. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
ललितपुर

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (कांवड मार्ग) में प्रयुक्त वन क्षेत्र के बदले ललितपुर वन प्रभाग में उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता/अनुपयुक्ता, अतिक्रमण ज्ञात करने हेतु गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./321 दिनांक 08.08.2022 एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर की कार्यालय पत्र सं0-483/14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 16.08.2022 के अनुक्रम में दिनांक 18.08.2022 से 19.08.2022 तक धौजरी, कपासी, जाखलौन, रेंज ललितपुर स्थित गैर वन भूमि हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर की पत्र सं0-605/13-1, दिनांक 18.08.2022 द्वारा क्र0सं0-01 से 08 में उल्लिखित विभिन्न गाटा संख्याओ का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

प्रस्तावित गैर वन भूमि के गाटा संख्याओं के वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता ज्ञात करने हेतु, उक्त भूमियों के स्थलीय निरीक्षण में गाटावार भूमियों में उपलब्ध मृदा गहराई (Soil depth) का सेमपल सर्वे के रूप में मृदा संकाय कार्य करके देखा गया, उक्त भूमियों का Terrain, Slope, Gps Polygon के आधार पर गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की मदद से अध्ययन कर प्रस्तावित भूमियों में उपलब्ध मृदा संकाय कार्य की संभावनाओं के दृष्टगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो के अनुसार वृक्षारोपण हेतु भूमि भी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता सम्बन्धी स्थलीय निरीक्षण में स्थित निम्न प्रकार पायी गयी।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम एवं गाटा संख्या		क्षेत्रफल (है0में)	वृक्षारोपण हेतु भूमि की उपयुक्तता/अनुपयुक्तता	अभ्युक्ति
		ग्राम	गाटा सं0			
1-	ललितपुर	धौजरी	27	90.50	अनुपयुक्त	उक्त भूमि पथरीली, चट्टान युक्त बोल्डर मिश्रित होने के कारण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।
2-	ललितपुर	धौजरी	26	30.20	अनुपयुक्त	
3-	ललितपुर	धौजरी	302/2	2.24	अनुपयुक्त	
4-	ललितपुर	कपासी	251/4	16.00	उपयुक्त	भूमि Soildepth अच्छी है। अतः वृक्षारोपण हेतु मृदा संकाय कार्य किये जा सकते है।
5-	ललितपुर	जाखलौन	606/4	20.30	अनुपयुक्त	प्रस्तावित पठारी चट्टान युक्त पहाड़ी के रूप में है। जिनका Slope अत्यधिक होने के कारण एवं पथरीली चट्टान युक्त मिट्टी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रचलित वृक्षारोपण माडलो हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण उक्त भूमि अनुपयुक्त है। पर्याप्त Root Stock उपलब्ध है। जिसमें ए0एन0आर0 एवं कल्चर कार्य किये जा सकते है।
6-	ललितपुर	जाखलौन	532/1	9.74	अनुपयुक्त	
7-	ललितपुर	जाखलौन	523	2.40	अनुपयुक्त	
8-	ललितपुर	जाखलौन	752 मि0	18.00	अनुपयुक्त	

अतः उक्त प्राप्त गैर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त एवं विवादित रहित है।

श्री हनुमंत सिंह
धौर्रा वीट/वन रक्षक

श्री अशोक कुमार पुरोहित
सैपुरा सेक्शन/वन दरोगा

श्री उमराव प्रसाद
वन रक्षक

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

तहसीलदार
ललितपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

D:\VIKKY_2013\Steno\Letter_Steno 2022

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्न-3

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

दिनांक 18/08/22

पत्रांक 2465/JC

प्रमाण–पत्र

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि0मी0 (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/121197/2021 के क्रम में तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–08वी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/321 दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग के संरेखण में कोई परिवर्तन नहीं है। उक्त मार्ग को मूल प्रस्तावित संरेखण अपर गंगा कैनाल की दाहिनी पटरी पर डोले के टो से 7.50 मी0 की दूरी पर नहर के समानांतर ही बनाया जायेगा।

(सोनिया शर्मा)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(एस0के0 सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्न–2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

पत्रांक 2465(1)/JC दिनांक 18/08/22

प्रमाण–पत्र

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि0मी0 (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/121197/2021 के क्रम में तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–08वी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/321 दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक मार्ग का निर्माण कार्य सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ उ0प्र0 से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार अपर गंगा नहर की दाहिनी पटरी पर नहर के डोले के टो से 7.50 मी0 दूरी पर नहर के समानांतर संरेखण पर कराया जायेगा। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संरेखण पर वन विभाग द्वारा पूर्व में मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25,000 पौघे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों का पातन सूचित किया गया था। पूर्व संरेखण पर ही वर्तमान में मार्ग प्रस्तावित होने के कारण वृक्षों के पातन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।

(सोनिया शर्मा)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(एस0के0 सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

संलग्न–5

पत्रांक 2465(1)/ JC

दिनांक 10/08/22

प्रमाण–पत्र

चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि0मी0 (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति हेतु वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Road/121197/2021** के क्रम में तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–08वी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/321 दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में निम्नानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक मार्ग का निर्माण अपर गंगा नहर की दाहिनी पटरी पर डोले की टो से 7.50 मी0 दूरी पर नहर के समानांतर संरेखण पर कराया जायेगा। उक्त संरेखण की सम्पूर्ण लम्बाई में पड़ने वाले समस्त सिविल पक्की संरचना, नर्सरी एवं अन्य भवन की क्षतिपूर्ति लोक निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी।

(सोनिया शर्मा)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(एस0के0 सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मेरठ

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर